राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 675/2014/उदयपुर.
अपील संख्या – 676/2014/उदयपुर.

मैसर्स आर.के.फास्फेट, प्रा० लिमिटेड, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—II, वृत—सी, उदयपुर. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त—सी, उदयपुर.

....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ श्री के. एल. जैन, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

कोई नहीं श्री आर. के. अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/10/2017

निर्णय

- 1. ये दोनों अपीलं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 107/वैट/रेस्टो/13—14 एवं 108/CST/रेस्टो/13—14 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—द्वितीय, वृत्त—सी, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित धारा 9(2) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 कर निर्धारण वर्ष 2009—10 के लिये पारित पृथक—पृथक आदेश दिनांक 14.02.2012 द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज की पृष्टि की है।
- 2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान निहित होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- 3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 'डाई केल्सियम फॉस्फेट' का विनिर्माण किया जाकर पशु आहार के रूप में करमुक्त विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को रसायन मानते हुए 4/5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माना एवं आलौच्य अविध वर्ष 2009–10 के वेट अधिनियम की धारा 23 व केन्द्रीय अधिनियम की

4 3

लगातार.....2

धारा 9(2) के तहत पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.02.2012 को पारित करते हुए तद्नुसार कर व ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2014 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

- 4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलार्थी की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलार्थी ने लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण माननीय राजक्र्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में ही दिये गये निर्णय दिनांक 29.09.2014 से पूर्णतः आच्छादित है। निर्णय में डाई केल्सियम फॉस्फेट पर कर दर के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है जिसमें विभाग की रिवीजन खारिज की गई है। तथ्यों व परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं है तथा बेचा गया माल समान है, अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।
- 5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त तथ्यों से सहमति प्रकट की गयी।
- 6. लिखित उत्तर व विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया व पत्राविलयों का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान कर बोर्ड व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भित निर्णयों का अवलोकन किया गया।
- 7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा डाई केल्सियम फॉस्फेट बेचा गया है, जबिक कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल को रसायन मानते हुए करारोपण किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के ही मामले में राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा इसी बिन्दु पर वर्ष 2006–07, 2008–09 के कर निर्धारण में आरोपित कर के मामले में निर्णय दिनांक 28.4.2014 में विस्तृत विवेचन कर 'डाई केल्शियम फॉस्फेट' को पशु आहार के रूप में करमुक्त माना गया। उस आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन याचिका 196/2014 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को चिस्तारण करते हुए कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें कर बोर्ड द्वारा डाई केल्सियम फॉस्फेट केटल फीड तैयार करने में प्रयोग किया गया एक पदार्थ माना गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पैरा संख्या 8 निम्न प्रकार है :-



"It was submitted by the respondents that the subsequent amendment expressly refers to "animal feed supplements". This suggests that animal feed supplements were not previously included in the exemption notification. This reasoning must be rejected. The amendment appears to be clarificatory in nature. For exmple, the amendment now expressly refers also to animal feed concentrates which were not expressly referred to earlier. It cannot be said that animal feed concentrates are not animal feed. In the same manner products which supplement animal feed and are generally added to animal feed are also covered by the generic term "animal feed". Other important verdict on the issue is of Division Bench of Karnataka High Court in Godrej Agrovet Limited Vs. Addl. Commissioner of Commercial Taxes [(2011) 39 VST 20] has held as under: "It is in this background, we have to decide this di-clacium phosphate (animal feeds) falls under which category. In this context, it is also useful to refer to the case of Dunlop India and Madras Rubber Factory Limited Vs. Union of India, reported in (1983) 13 ELT 1566 (S.C.). While deciding the classification of glass mirror, the apex court laid down the following principle of classification: The test commonly applied to such cases is how is the product identified by the class or Section of the people dealing with or using the product. That is a test, which is attracted whenever a statute does not contain any definition. It is a matter of common experience that the identity of an article is associated with its primary function. It is only logical that it should be so. When a consumer buys an article, he buys it because it performs a specific function for him. There is a mental association in the mind of the consumer between an article and the need it supplies in his life. It is the functional character of the article, which identifies it in his mind. Therefore, glass mirror is not treated as glass and glassware ever in trade parlance.

"Di-calcium Phosphate" (animal feed grade) is a feed supplement used in the manufacture of animal feeds. It is purchased by animal feed manufacturers for the preparation of animal feeds. The words "di-calciup phosphate" is not specifically mentioned at serial No. 62 in the Third Schedule. Similarly, the said product is also not mentioned at serial No. 8 in the first Schedule. It is not in dispute that the said product is a feed supplement used in the manufacture of animal feeds. The assessee is a manufacturer of animal feeds. The assessee purchased the said food supplement from M/s. Kerala Chemicals and Proteins Limited. The excess quantity, which was purchased is being sold to M/s. Kavi Agencies, who in turn have sold it to animal feed manufacturers. The di-calcium phosphate (animal feed grade) is not useful for any other purposes except manufacturing of animal feed. Therefore, it is an animal feed supplement. The notification referred to supra specifically deals with

products used as industrial inputs and packing materials. Di-calcium phosphate (animal feed grade) therefore is not useful as an industrial input or as a packing material. The said product is purchased by animal feed manufacturers for a specific function. The said product is associated with animal feed only. The Additional Commissioner though noticed the judgment of the Supreme Court and accepted the contention that di-caldium phosphate is a product used in the preparation of animal feed, rejected the contention of the Assessee on the ground that the Supreme Court never held that, di-calcium phosphate is a animal feed or animal supplement, which are exempted from taxation. Therefore, it is a clear case of misreading the Apex Court judgment. The Supreme Court has categorically said both the animal feed and feed supplement are exempted from duty, di-calcium phosphate, which is used in the preparation of animal feed is not an animal feed as such, it is a feed supplement. Entry No. 8 of the First Schedule clearly exempts from payment of duty both animal feed and feed supplement, i.e., precisely what the Apex Court said in the judgment. In the view of the matter, the order passed by the Additional Commissioner of Commercial Taxes is patently illegal and requires to be set aside and the order passed by the first appellate authority is to be restored."

Therefore, in my considered opinion, the learned Tax Board has not committed any error of law in concluding that Di-calcium phosphate is a substance utilized for preparation of cattle feed, which is not taxable under the Act of 2003. For that reason, I fully concur with the impugned verdit of the learned Tax Board and even on micro analysis, I am afraid, no question of law is involved in the matter requiring adjudication.

Resultantly, this revision petition lacks in merit and the same is hereby dismissed summarily.

- 7. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक विश्लेषण के पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित निर्णय के प्रकाश में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए, इस सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाते हैं।
- 8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 08.01.2014 अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय) सदस्य (के. एल. जैन) सदस्य